सरल कानूनी ज्ञान माला - 8

# भ्रष्टाचार निवारण विधि
# (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988)

## 1. भ्रष्ट लोक सेवक राष्ट्र की जड़ों को खोखला बनाते हैं:-

राष्ट्र को चलाने का दायित्व सभी ऐसे लोक सेवकों पर है, जो राज्य, जनता या समुदाय में लोक कर्तव्यों का निर्वहन करते है। यदि लोक सेवक भ्रष्ट हो जाते हैं तो वे राष्ट्र की जड़ों को कमजोर बना देते हैं, जिससे राष्ट्र की समृद्धि एवं उन्नति की रफ्तार धीमी पड़ जाती है। चूँकि लोक सेवक को लोक कर्तव्य का निर्वहन करना होता है जिससे राज्य जनता या समुदाय के हित अभिप्रेत हैं अत: ऐसे सभी लोक सेवकों को भ्रष्टाचार से रोकने के लिए नई विधि भ्रष्टचार निवारण अधिनियम 1988 का विशेष महत्व है।

## 2. लोक सेवक से क्या अभिप्राय है:-

केवल सरकारी सेवक ही लोक सेवक नहीं होता बल्कि लोक कर्तव्य के पालन करने के लिए प्राधिकृत सभी व्यक्ति लोक सेवक हैं। इस प्रकार लोक सेवक से अभिप्राय केवल किसी व्यक्ति का सरकारी सेवक या उसे वेतन पर होने या किसी लोक कर्तव्य के पालन के लिए सरकार से शुल्क या कमीशन के रूप में परितोषण पाना ही नहीं है, बल्कि ऐसे व्यक्ति भी इस परिभाषा में सम्मिलित हैं जो ऐसे किसी पद पर स्थापित हैं जिसके आधार पर वह किसी लोक कर्तव्य का पालन करने के लिए प्राधिकृत या अपेक्षित है। उदाहरण के तौर पर एक गांव का प्रधान भले ही सरकार से कोई वेतन या शुल्क प्राप्त नहीं करता बल्कि लोक कर्तव्य का पालन करने के लिए प्राधिकृत या अपेक्षित है इसलिए इस अधिनियम के अन्तर्गत एक ग्राम प्रधान भी लोक सेवक माना जायेगा। यदि उसके द्वारा अपने का दुरूपयोग किया जाता है तो उसे भी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दण्डित किया जा सकता है। इसी प्रकार एम0एल0ए0 या न्यायालय के द्वारा नियुक्त किये गये किसी वकील कमिश्नर को भी लोक सेवक की परिभाषा मे सम्मिलित किया गया है। अत: अब इस अधिनियम की धारा-2 के अन्तर्गत लोक सेवक की परिभाषा में ऐसे सभी व्यक्ति भी आते हैं जो लोक कर्तव्य प्रकृति के पद पर है और उन्हें लोक कर्तव्य का पालन करने के लिए अपेक्षित या प्राधिकृत किया गया हैं।

## 3. भ्रष्टाचार का क्या अर्थ है:-

भ्रष्टाचार को साधारण भाषा में घूस या रिश्वत कहा जाता है, परन्तु इस अधिनियम की तकनीकी विधि भाषा में भ्रष्टाचार का व्यापाक अर्थ लिया गया है जिसकी विस्तृत परिभाषा अधिनियम की धारा-7 में इस प्रकार है कि जो कोई लोक सेवक होते हुये वैध पारिश्रमिक से भिन्न किसी प्रकार को कोई परितोषण या ईनाम अपने पदेन कार्य में अपने पदीय कृत्यों के प्रयोग में अनुग्रह या अनुग्रह दिखाने के लिए प्राप्त करता है तो वह भ्रष्टाचार का दोषी है। कहने का तात्पर्य यह है कि जब कोई लोक सेवक अपने पद का दुरुपयोग किसी ईनाम या परितोषण के लिए करता है जो वह भ्रष्टाचार अधिनियम की धारा-7 के अन्तर्गत कम से कम 6 माह की अवधि के कारावास जो 5 वर्ष की हो सकती है और अर्थ दण्ड से भी दण्डित किया जावेगा।

जब कोई लोक सेवक अपने पद का उपयोग करने या पदेन कार्य करने के एवज में वैध पारिश्रमिक से भिन्न किसी प्रकार का कोई पारितोषण के रूप में ईनाम प्राप्त करता है तो यह समझा जायेगा कि उसने रिश्वत ली है। इसी प्रकार भ्रष्टाचार की परिभाषा के अन्तर्गत इस अधिनियम की धारा-13 में लोक सेवक द्वारा रिश्वत लेने को आपराधिक अनाचार का किया जाना भी शामिल है, जिसके अन्तर्गत यदि कोई लोक सेवक अपने लिये या किसी अन्य व्यक्ति के लिये कोई मूल्यवान चीज या धन सम्बन्धी लाभ प्राप्त करता है या किसी लोक सेवक के कब्जे में धन सम्बन्धी साधन या ऐसी संपत्ति है जो उसकी आय के अननुपातिक है तो ऐसे लोक सेवक के विरूद्ध आपराधिक अनाचार के अपराध में इस अधिनियम की धारा-13 के अन्तर्गत कम से कम एक वर्ष का कारावास जो सात वर्ष तक का हो सकता है और अर्थदण्ड से भी दण्डित किया जायेगा। अत: रिश्वत लेने पर धारा-7 के अतिरिक्त इस धारा-13 में भी लोक सेवक को भ्रष्टाचार के लिये दण्डित किया जाता है।

## 4. घूस देने वाले व्यक्ति को भी इस अधिनियम में दण्डित किया जा सकता है :-

इस अधिनियम में जहाँ रिश्वत लेने वाले लोक सेवक को दण्डित करने की व्यवस्था है, वही दूसरी ओर जो व्यक्ति किसी लोक सेवक को रिश्वत देता है या लोक सेवक को भ्रष्ट या अवैध साधनों द्वारा पदेन कृत्य अनुग्रह या अनुग्रह करने के लिए उत्प्रेरित करता है तो ऐसे रिश्वत देकर लोक सेवक गुमराह करने वाले व्यक्ति को अधिनियम की धारा-8 के अन्तर्गत कम से कम 6 माह का कारावास जो 5 वर्ष तक का हो सकेगा दण्डित किया जायेगा और अर्थदण्ड से भी दण्डित किया जायेगा। इसी तरह यदि कोई व्यक्ति किसी उच्च पद पर आसीन हो और अपने व्यक्तिगत प्रभाव से वह किसी लोक सेवक को उत्प्रेरित करने के लिए या ईनाम के लिए प्रतिग्रहित अभिप्राप्त करते हुए अपने पद के दुरुपयोग से लोक सेवक के पदेन कृत्यों में अनुग्रह या अननुग्रह करने के लिए कहता है या ऐसे लोक सेवक पर व्यक्तिगत प्रभाव डालकर परितोषण प्राप्त करने के लिए लोक सेवक से अपने उल्लू सीधा करता है तो ऐसे व्यक्ति को भी अधिनियम के अन्तर्गत दण्डित किया जा सकता है।

## 5. भ्रष्ट लोक सेवक को रंगे हाथों पकड़ने की प्रक्रिया :-

जब कोई व्यक्ति रिश्वत देने का इच्छुक हो और सेवक रिश्वत लेने में कोई आपत्ति न हो तो दोनों व्यक्ति रिश्वत लेने वाले और देने वाले को आपसी मिली भगत के परिणामस्वरूप रिश्वत लेने वाले व्यक्ति को पकड़ना सम्भव नहीं है। इसलिए जब लोक सेवक रिश्वत की माँग करता हो और दूसरा व्यक्ति रिश्वत देने को तैयार न हो तभी किसी लोक सेवक को रिश्वत लेने में रंगे होथों पकड़ना सम्भव है। इसके लिए प्राय: हर जिले में उप पुलिस अधीक्षक या समतुल्य स्तर का पुलिस अधिकारी को भ्रष्टाचार सम्बन्धी मामलों में कार्यवाही करने के लिए प्राधिकृत किया गया है। इस सम्बन्ध में अधिनियम की धारा-17 में प्रावधानित किया गया है जिसमें रिश्वत लेने वाले लोक सेवक के विरूद्ध गोपनीय रूप में लिखित शिकायत पत्र दिया जाता है और जिस पर विशेष पुलिस अधिकारी भ्रष्टाचार अपराध की कार्यवाही करता है जिसमें भ्रष्ट लोक सेवक को रंगे हाथों पकड़ा जा सकता है। चूंकि रिश्वत खुले आम नहीं ली जाती, इसलिए इसको रंगे हाथ पकड़ने के लिए योजना बनायी जाती है जिसमें मुख्यत: कार्यवाही इस प्रकार की जाती है कि शिकायतकर्ता को रिश्वत देने की धनराशि के नोटों पर फिलैन्थीन पाउडर लगाया जाता है और यह नोटों की धनराशि लोक सेवक को दी जानी होती है इन नोटों पर फिलैन्थीन पाउडर या हस्ताक्षर भी किये जाते है जिसमें नोटों को पहचाना जा सकता है और ऐसे लोक सेवक को रगें हाथ पकड़ा जा सकता है। नोटों पर उक्त पाउडर लगाने से यह पाउडर रिश्वत लेने वाले व्यक्ति के हाथों पर लग जाता है और इस पाउडर को मौके पर ही पानी के गिलास में डालकर हाथ लाल हो जाते है। इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि उक्त व्यक्ति द्वारा रिश्वत ली गयी है। चूंकि रिश्वत लेने वाली धनराशि की बरामदगी को भी सिद्ध किया जाना आवश्यक होता है इसलिए जब इन नोटों को रिश्वत के रूप में लिया जाता है तो मौके पर दो गवाह आस-पास छिपा दिये जाते हैं और जब रिश्वत का लेना-देना होता है जो उन्हें गोपनीय इशारा देकर बुलाया जाता है और रिश्वत लेने वाले व्यक्ति को रंगे हाथों पकड़ा सकता है। इस अधिनियम के अन्तर्गत ऐसा कार्य किया जाना पुलिस अधिकारी द्वारा की सम्भव होता है इसलिए जब किसी व्यक्ति को किसी लोक सेवक के विरूद्ध भ्रष्टाचारा की कोई शिकायत है तो उसे लिखित रूप से विशेष पुलिस अधिकारी के समक्ष अपनी शिकायत प्रस्तुत करनी चाहिए तभी जाकर उचित योजना बनाते हुए ऐसे भ्रष्टाचारी लोक सेवक को रंगे हाथों पकड़ना सम्भव होता है।

## 6. भ्रष्ट लोक सेवक रिश्वत लिये रंगे हाथों पकडे बिना भी अधिनियम में दण्डित किया जा सकता है:-

जो चालाक भ्रष्ट लोक सेवक होता है वह सभी कानूनी दावपेचों और हथकण्डों को जानता है इसलिए उसे रंगे हाथों पकड़ना सम्भव नहीं है। चूंकि रिश्वत को भिन्न- भिन्न रूप में लिया जाता है सामान्यतया रिश्वत से यह अर्थ लिया जाता है कि उसने पैसे की माँग की या संपत्ति के रूप में या अन्य रूप में भी परितोषण या ईनाम प्राप्त किया है ऐसे सभी कार्य भ्रष्टाचार की परिभाषा में सम्मिलित होते है, परन्तु ऐसे सभी ईनामों और परितोषण को पकड़ना सम्भव नहीं होता, क्योंकि ऐसे रिश्वत देने वाले व्यक्ति उसकी शिकायत नहीं करते है, बल्कि वे स्वयं ही अपना काम निकालने के लिए इस प्रकार की रिश्वत देते है। ऐसी स्थिति में चतुर लोक सेवक को रंगे हाथ न पकड़ने पर इस अधिनियम की धारा-13 में पकड़ने की व्यवस्था की गयी है। अधिनियम की धारा-13 के अन्तर्गत किसी लोक सेवक को अपराधिक अनाचार करने वाला कहा जाता है-

(क) यदि वह अपने लिये या किसी अन्य व्यक्ति के लिये वैध पारिश्रमिक से भिन्न कोई परितोषण ऐसे हेतु या इनाम के रूप में, जैसा धारा-7 में वर्णित हैं किसी व्यक्ति से बहुधा प्रतिगृहीत या अभिप्राप्त करता है या प्रतिगृहीत करने के लिये सहमत होता है या अभिप्राप्त करने का प्रयास करता है, या

(ख) यदि वह अपने लिये या किसी अन्य व्यक्ति के लिये कोई मूल्यवान वस्तु प्रतिफल के बिना या ऐसे प्रतिफल के लिए जिसका अपर्याप्त होना वह जनता है किसी ऐसे व्यक्ति से जिसका कि अपने द्वारा या किसी ऐसे लोक सेवक द्वारा जिसके वह अधीनस्थ है, कि गई या की जा सकने वाली किसी कार्यवाही या कारोबार से संबद्ध रहा होगा, होना या हो सकना वह जानता है अथवा किसी ऐसे व्यक्ति से जिसका ऐसे संबद्ध व्यक्ति में हितबद्ध या उससे नातेदारी होना वह जानता है, बहुधा अभिप्राप्त या प्रतिगृहीत करने के लिए सहमत होता है या अभिप्राप्त करने का प्रयास करता है, या

(ग) यदि वह लोक सेवक के रूप में अपने को सौंपी गई या स्वनियन्त्रणाधीन किसी संपत्ति का अपने उपयोग के लिए अवैध तरीके से या कपटपूर्ण दुर्विनियोग करता है या उसे अन्यथा सम्परिवर्तित कर देता है या किसी अन्य व्यक्ति को ऐसा करने देता है, या

(घ) यदि वह-

(1) भ्रष्ट या अवैध साधनों से अपने लिये या किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई मूल्यवान वस्तु या धन सम्बन्धी लाभ अभिप्राप्त करता है, या

(2) लोक सेवक के रूप में अपनी स्थिति का अन्यथा दुरूपयोग करके अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए कोई मूल्यवान चीज या धन सम्बन्धी लाभ अभिप्राप्त करता है, या

(3) लोक सेवक के रूप में पद धारण करके किसी व्यक्ति के लिए कोई मूल्वान वस्तु या धन सम्बन्धी लाभ बिना किसी लोक हित में अभिप्राप्त करता है, या

(ड़) यदि उसके या उसकी ओर से किसी व्यक्ति के कब्जे में ऐसे धन सम्बन्धी साधन तथा ऐसी संपत्ति है जो उसकी आय के ज्ञात स्रोतों की अननुपातिक है अथवा उसके पद की कालावधि के दौरान किसी समय कब्जे में रही है जिसका कि वह लोक सेवक संतोषप्रद लेखा-जेखा नहीं दें सकता है।

**स्पष्टीकरण** :- (1) इस धारा के प्रयोजनों के लिए ''आया के ज्ञात स्रोत'' से अभिप्रेत है किसी विधिपूर्ण स्रोत से प्राप्त आय, जिस प्राप्ति की सूचना, लोक सेवक की तत्समय लागू विधि,नियमों या आदेशों का उपबन्धों के अनुसार दे दी गयी है।

(2) कोई लोक सेवक जो अपराधिक अनाचार करेगा इतनी अवधि के लिए जो एक वर्ष के कम की न होगी किन्तु जो सात वर्ष तक की हो सकेगी, कारावास से दण्डनीय होगा और अर्थदण्ड का भी दायी होगा। इस प्रकार यदि किसी लोक सेवक को इस अधिनियम की धारा-7 के अन्तर्गत पकड़ना सम्भव न हो तो इस अधिनियम की धारा-13 (ड़) के अन्तर्गत उसको पकड़ा जा सकता है अर्थात् जब उसके नाम संपत्ति उसके आय के स्रोतों से अधिक होती है जो उसे लोक सेवक के विरूद्ध कम से कम एक वर्ष का कारावास जो 7 वर्ष तक के कारावास से भी दण्डित किया जा सकता है और अर्थदण्ड से भी दण्डित किया जा सकता है।

## 7. केन्दीय सरकार के लोक सेवकों पर सी0बी0आई0 द्वारा ही कार्यवाही की जा सकती है:-

जहाँ तक राज्य सरकार के लोक सेवकों का प्रश्न है, उनके विरूद्ध यदि भ्रष्टाचार की कोई शिकायत हो तो उनको सम्बन्धित जिले के पुलिस अधीक्षक को गुप्त रूप से सूचित करना होगा जिस पर पुलिस अधीक्षक अपने अधीनस्थ उप-अधीक्षक स्तर के पुलिस अधीकारी को उपयुक्त योजना बनाकर सम्बन्धित भ्रष्ट लोक सेवक को रंगे हाथों पकड़ने का प्रयास करते हैं। जहाँ तक केन्द्र सरकार के यहाँ कार्यरत लोक सेवकों का प्रश्न है, उनके विरूद्ध अधिनियम की धारा-17 में राज्य सरकार की पुलिस को कोई कार्यवाही करने का अधिकार नहीं होता क्योंकि इसके लिये सी0बी0आई0 की विशेष पुलिस को ही अधि

ाकृत किया जाता है। चूँकि प्रत्येक जिले में सी0बी0आई0 का कार्यालय नही होता इसलिए जहाँ पर कार्यालय होता है, उनमें गुप्त रूप से इसकी जानकारी देनी होगी तथा इस पर कार्यवाही देनी होगी तथा इस पर कार्यवाही प्रारम्भ की जा सकती है। उदाहरण के रूप में यदि चमोली जनपद में किसी केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के विरूद्ध भ्रष्टाचार की शिकायत है और उन्हें रंगे हाथ पकड़वाना है तो सी0बी0आई0 का कार्यालय देहरादून में है, जहाँ पुलिस अधीक्षक अपने पूर्ण स्टफ के साथ रहते है वहाँ पर इस बावत शिकायत प्राप्त होने पर देहरादून में ही पुलिस अधीक्षक अपने यहाँ कार्यरत इन्सपैक्टर या उससे उच्च स्तर के अधिकारी को कार्यवाही करने का निर्देश देंगे, जिस पर प्रारम्भिक जाँच पर रिश्वत लेने का शिकायत पत्र सत्य मालूम पड़ता है तो उस पर प्रभावी कार्य करने के लिए एक टीम का गठन किया जाता है। जिसमें रिश्वत लेने वाले लोक सेवक को पकड़ने के लिए एक योजना बनाई जाती है जिसमें प्राय: दो सरकारी कार्मचारियों को बरामदगी हेतु गवाह के रूप में प्रस्तुत होने के लिये तैयार किया जाता है और यह भी बताया जाता है कि जब रिश्वत का पैसा दिया जायेगा तो वह किस तरह और कहाँ खड़े होंगे और जो व्यक्ति लोक सेवक द्वारा रिश्वत मांगने पर रुपया देगा तो उस समय उस गवाहान को बताने के लिये किस प्रकार इशारा करना होगा और जो नोट दिये जायेंगे उनकों फिलैथीन पाउडर के लगा दिये जाने के अतिरिक्त पहले नोट के नम्बर भी नोट करवा दिये जाते है। इस प्रकार सी0बी0आई0 केन्द्र सरकार के सरकारी कर्मचारी को रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ती है।

**8. बैंक, बीमा कम्पनी तथा अन्य केन्द्र सरकार के उपक्रम में कार्यरत कर्मचारी भी केन्द्रीय सरकार के लोक सेवक है:-**

जहाँ तक केन्द्र के सरकारी कर्मचारियों का प्रशन है, वह केवल डाक एवं तार मंत्रालय के अन्तर्गत डाकघर, दूर संचार मंत्रालय के अन्तर्गत टेलीफोन विभाग, या वित्त मंत्रालय के अन्तर्गत आयकर विभाग के कर्मचारी आते हैं इसके अतिरिक्त बैंक, बीमा कम्पनी, बी0एच0ई0एल0 या गैस अथॅारटी इत्यादि केन्द्र सरकार के उपक्रम के सब कर्मचारियों को भी केन्द्र सरकार के कर्मचारी मानते हुए इनके विरूद्ध यदि रिश्वत लेने की शिकायत है तो उनके विरूद्ध भी केवल सी0बी0आई0 के कार्यालय में जाकर रिपोर्ट करनी होगी और इनको रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ने का अधिकार सी0बी0आई0 विशेष पुलिस को दिया गया है।

**9. अपने पद का दुरुपयोग करके किसी व्यक्ति द्वारा ईमानदारी लोक सेवक के नाम से रिश्वत लेना अपराध है :-**

कभी-कभी प्रभावशाली व्यक्ति अपने पद का दुरुपयोग करके किसी ईमानदार लोक सेवक को पता ही नहीं होता और वह उसके नाम से रिश्वत लेता है ओर लोक सेवक से काम करवा लेता है ऐसे व्यक्ति को इस अधिनियम की धारा-9 के अन्तर्गत कम से कम 6 माह से लेकर 5 वर्ष तक कठोर कारावास और अर्थदण्ड से दण्डित किया जा सकता है। उदहारणतया: यदि किसी ब्लाक का बी0डी0ओ0 ग्राम प्रधान का सम्मान करता है और वह ग्राम प्रधान किसी गाँव के व्यक्ति का काम बी0डी0ओ0 साहब से यह कहकर कराने क लिये गाँव वालों को कहता है कि उसके लिए 200/-रुपये चाहिए और बी0डी0ओ0 साहब को ऐसे धन के बावत जानकारी तक नहीं होती और वह ग्राम प्रधान के कहने पर विधिवत कार्य कर देते हैं तो ग्राम प्रधान द्वारा बी0डी0ओ0 के नाम से 200/-रुपये लिया जाना दण्डक अपराध है और ऐसे ग्राम प्रधान के विरूद्ध इस धारा-9 के अन्तर्गत दण्डित करने की कार्यवाही की जा सकती है।

**10. यह अधिनियम ईमानदार लोक सेवक की रक्षा भी करता है :-**

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम जहाँ भ्रष्ट लोक सेवक को पकड़ने के लिए बना है वहीं यह अधिनियम ईमानदार लोक सेवा की रक्षा भी करता है चूँकि किसी भी लोक सेवक के विरूद्ध भ्रष्टाचार का मुकदमा न्यायालय में तभी चल सकता है जब ऐसे लोक सेवक के विभागाध्यक्ष द्वारा उसके विरूद्ध न्यायालय में मुकदमा चलाने की अनुमति इस अधिनियम की ध ारा-19 के अन्तर्गत प्रदान कर दी जाती है। कभी-कभी कोई चालाक आदमी किसी ईमानदार लोक सेवक को परेशान करने के लिये पुलिस में झूठी रिपोर्ट भी कर सकता है और ईमानदार लोक सेवक का कोई दोष न होने पर भी ऐसे चालक लोगों के जाल में फंस सकता है। अत: यदि पुलिस मुकदमा दर्ज कर लेती है फिर भी ऐसे ईमानदार लोक सेवक के विरूद्ध न्यायालय में चालान दाखिल नहीं किया जा सकता, जब तक कि लोक सेवक के विभागाध्यक्ष द्वारा अधिनियम की धारा-19 में मुकदमा चलाने के लिये अनुमति प्रदान न कर दी जाये। इसलिए जहाँ भ्रष्ट लोक सेवक को दण्डित किया जाता है, वहीं ईमानदार लोक सेवक की सुरक्षा भी की जाती है।

**11. भ्रष्टाचार के मामलों का क्षेत्राधिकार केवल विशेष न्यायाधीश का है, मजिस्ट्रेट का नहीं है:-**

जब भी किसी भ्रष्टाचार सम्बन्धी कोई मामला होता है तो उस स्थिति में भ्रष्ट लोक सेवक को यदि रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा जाये तो मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं किया जाता क्योंकि भ्रष्टाचार के सभी मामलों का क्षेत्राधिकार अधिनियम की धारा-4 के अन्तर्गत सेशन जज या विशेष न्यायाधीश के पास होता है। अतः भ्रष्ट लोक सेवक को जेल भेजने, उसकी जमानत स्वीकार करने तथा मुकदमा चलाने के बाद दण्डित करने सम्बन्धी सभी कार्यवाहियाँ सेशन जज या विशेष न्यायाधीश के सम्मुख की जा सकती है।

## 12. मेरा भारत महान यहाँ कोई नहीं बेईमान :-

नया भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम अब बहुत व्यापक बना दिया गया है ताकि हर व्यक्ति चाहे वह सरकारी नौकर है या नहीं, इसके अन्तर्गत दण्डित किया जा सकता है। यदि इसको लागू करने में जनता द्वारा सहयोग किया जाये तो भ्रष्टाचार यदि पूर्णतया समाप्त नहीं किया जा सकता तो कम जरूर किया जा सकता है। जो आज फिल्मी गाना बन गया है कि हमारा भारत महान सौ में से नियानब्बे बेईमान, वह बदलकर यह नारा बन जायेगा कि हमारा भारत महान यहाँ कोई भी नहीं बेईमान।

## 13. लोक सेवक द्वारा रिश्वत लेने सम्बन्धी कुछ महत्वपूर्ण फैसले :-

### (i) स्वरूप चन्द्र बनाम पंजाब राज्य ए0आई0आर0 1987 सी0पी0144 :-

इस मामले का अभियुक्त राजस्व पटवारी था जिसने जामाबन्दी की प्रतिलिपियाँ उपलब्ध कराने हेतु परिवादी से 200/- रुपये की रिश्वत माँगी। जिस पर परिवादी ने पुलिस को शिकायत की और योजना बनाकर अभियुक्त को रंगे हाथों पकड़ते हुए उसके कोट के जेब से 200/- रुपये रिश्वत की बरामद किये गये। अभियुक्त अपने कोट में पाये गये इन 200/- रुपयों की बावत काई स्पष्टीकरण नहीं दे सका और उसको रिश्वत के अपराध में दण्डित किया गया।

### (ii) तरसैम लाल बनाम् हरियाणा राज्य, ए0आई0आर01987 एम0सी0 409:-

इस मुकदमें में अभियुक्त एक पटवारी था जिसने ज्ञान सिंह से राजस्व रिकार्ड की प्रतियाँ उपलब्ध कराने के लिये 200/- रूपये की रिश्वत माँगी, परन्तु परिवादी ज्ञान सिंह ने 50/- रुपये पहले दे दिया और बकाया प्रतियाँ प्राप्त होने पर देने को कहा। इस पर मुल्जिम द्वारा 150 रुपये लेने के बाद उससे रिश्वत के रूप में तुरन्त बरामद कर लिये गये । इन 150/- रुपये की रिश्वत के रूप में लेने से अस्वीकार करते हुए पटवारी का यह कहना कि यह 150/- रुपये उसने परिवादी से लघु बचत जमा खाते के लिये प्राप्त किये गये जिसका सत्य न पाते हुए यह माना गया कि वास्तव में पटवारी ने यह रूपये रिश्वत के रूप में प्राप्त किये थे।

### (iii) सरवा राम गंगा राम ठाकरे बनाम् महाराष्ट्र राज्य, 1990 (2) क्राइम 111 :-

इस मामले में अभियुक्त ने परिवादी के हक में निर्णय देने के लिए 1000/- रूपये की रिश्वत की माँग की थी और जाल में फंसाने के बाद मुल्जिम के कोट के जेब पर इस रिश्वत की धनराशि को बरामद किया गया जिस पर उसको रिश्वत लेने का दोषी पाते हुए दण्डित किया गया।

### (iv) हनुमंत राव बनाम् आन्ध्र प्रदेश राज्य, 1993 एस0सी0सी0 117 :-

इस मामले में पुलिस सब इन्सपैक्टर ने 50,000/- रूपये की रिश्वत शराब के ठेकेदार से इसलिये माँग की थी कि वह बिना चैक किये उसकी अथक को न तो पकड़ेगा और न डिपों को चैक करेगा जिस पर पुलिस इन्सपैक्टर को 50,000/-रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा गया और भ्रष्टाचार के अपराध में दण्डित किया गया।

### (v) राम नरायण पिल्लई बनाम तमिलनाडु राज्य,1993 क्रि.एल.जे. 1303 :-

इस मामले में नगरपालिका के इन्सपैक्टर ने इस बात के लिये रिश्वत की माँग की थी कि वह परिवादी के मकान पर हाउस टैक्स नहीं बढ़ायेगा और उसके विरूद्ध रिश्वत लेते हुए परिवादी ने रंग हाथ पकड़वा दिया और वह भ्रष्टाचार के अपराध में दण्डित किया गया।

### (vi) सन्त गारूती बैकर बनाम् महाराष्ट्र राज्य, 1991 सि.एल.जे. 3163 :-

इस मामले में मजिस्ट्रेट न्यायालय में परिवादी का मुकदमा था जो निर्णय के लिये नियत था जिसमें अभियुक्त के वकील ने अभियुक्त से मजिस्ट्रेट के नाम पर 5000/- रुपये लिये और कहा कि मजिस्ट्रेट को यह रुपये देने हैं और उसको मुकदमें में बरी कर दिया जायेगा। जब अभियुक्त ने इस बारे में मजिस्ट्रेट को बताया तो उसने इसकी शिकायत जिला जज को की और पाया कि वकील ने मजिस्ट्रेट के नाम से यह 5000/- रुपये अभियुक्त से प्राप्त किये थे और उस वकील को भ्रष्टाचार के अन्तर्गत दण्डित किया गया।

## (vii) तगराजू बनाम तमिलनाडू राज्य, 2002 क्रि.एल.जे. 189 :-

परिवादी को बिजली का कनेक्शन प्राप्त करने हेतु अपने खेत सम्बन्धी कुछ दस्तावेजों की प्रतियों की आवश्यकता थी और गाँव के प्रशासनिक अधिकारी के पास गया तो अपनी प्रतियाँ देने के लिए 250/- रुपये की रिश्वत माँग की थी जिस पर परिवादी ने 50/- रुपये तुरन्त दे दिये गये और बकाया रिश्वत की राशि बाद में देने के लिए कहा। इस बीच परिवादी ने विजिलैन्स अधिकारी को सूचना की जिसने भ्रष्टाचार को मामला दर्ज करते हुए परिवादी को बुलाकर बकाया रिश्वत देने वाले 200/- के बाबत प्रदर्शित किया कि इनको मुल्जिम को कैसे देना होगा और उन नोटों पर फिलैन्थीन पाउडर लगाया गया ताकि जब मुल्जिम को इन नोटों को प्राप्त करते हुए गिरफ्तार किया जाये तो उसके हाथों को पानी में डालने पर उसका रंग लाल हो जायेगा। इस प्रकार मुल्जिम को रंगे हाथों पकड़ लिया गया और गवाहान की उपस्थिति में बरामदगी तैयार की गई और अभियुक्त को भ्रष्टाचार के अपराध में दण्डित किया गया।

## विधिक सहायता प्राप्त करने के लिए प्रार्थना - पत्र

सेवा में,

सचिव,

उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति/उपसमिति/जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/तहसील विधिक सेवा समिति,

तहसील - जनपद-

मैं ................................ पुत्र/पुत्री/पत्नी/विधवा .................................. निवासी ....................................................... विधिक सहायता/परामर्श प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित परिस्थितियों में आवेदन करता/करती हूँ-

1. समस्त स्रोतों से मेरी वार्षिक आय रु. 1,00, 000/- (एक लाख रुपया)तक है (आय प्रमाण पत्र संलग्न है)
2. मैं पात्रता की निम्न श्रेणी में आता हूँ/आती हूँ (जो लागू हो उसके सामने सही का निशान लगायें ) :-
   (क) अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति
   (ख) मानव दुर्व्यवहार या बेगार का सताया हुआ
   (ग) स्त्री या बालक
   (घ) मानसिक रूप से अस्वस्थ
   (ड़) बहु विनाश, जातीय हिंसास, जातीय अत्याचार, बाढ़, सूखा, भूकम्प या औद्योगिक विनाश की दशाओं के अधीन सताया हुआ व्यक्ति।
   (च) औद्योगिक कर्मकार
   (छ) युद्ध में शहीद सैनिक आश्रित
   (ज) अभिरक्षा में (प्रमाण पत्र संलग्न करें)
3. विधिक सेवा परामर्श की प्रकृति विवाद का कारण, दावे प्रतिवादी आदि का संक्षिप्त विवरण।
4. क्या विधिक सेवा परामर्श प्राप्त करने के लिए पूर्व में कोई प्रार्थना पत्र दिया था? यदि हाँ तो उसका परिणाम?
5. मुझे निम्न प्रकार की कानूनी सहायता वांछित है :-
   (1) वाद दायर करने/प्रतिवाद करने हेतु नि:शुल्क अधिवक्ता की सेवायें
   (2) कोर्ट फीस की मद में अदा की जाने वाली धनराशि
   (3) अभिलेख प्राप्त करने हेतु व्यय की गयी/व्यय होने वाली धनराशि
   (4) वाद व्यय की मद में व्यय की गयी धनराशि
   (5) केवल विधिक परामर्श

मैं विश्वास दिलाता हूँ/दिलाती हूँ कि विधिक सेवा प्रदान किये जाने की स्थिति में मैं उपलब्ध कराये गये अधिवक्ता तथा जिला प्राधिकरण/उच्च न्यायालय समिति को पूर्ण सहयोग प्रदान करूंगा/करूंगी और किसी भी बात को नहीं छुपाऊँगा/छुपाऊँगी।

प्रार्थी/प्रार्थिनी

पता -

नाम -